न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

(37)

पीठासीन अधिकारी–

कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
07/2014/प्रा.पत्र/2014	11.09.2014	08.08.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम,

1– श्री देवी दास पुत्र मग दास जाति वैष्णव विकेता/नौकर मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड दूनी जिला टोंक हाल निवासी टेलीफोन एक्सचेंज के पास दूनी जिला टोंक राज0 स्थाई पता सिमरक्या पुरोहितान तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

2–श्री जब्बर सिंह पुत्र बेरीसाल सिंह एफ.बी.ओ मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड दूनी जिला टोंक हाल निवासी टेलीफोन एक्सचेंज के पास दूनी जिला टोंक राज0 ग्राम व पोस्ट बावडी कला तहसील फलौदी जिला जोधपुर राज0

3–मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड दूनी जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी स्वंय उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक **08.08.2019**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.05.2014 को समय 2.01 बजे पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड दूनी जिला टोंक पर पहुंचां। नोकर/विकेता की हैसियत से श्री देवी दास पुत्र मग दास जाति वैष्णव विकेता/नौकर मैनेजर मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड दूनी जिला टोंक हाल निवासी टेलीफोन एक्सचेंज के पास दूनी जिला टोंक राज0 स्थाई पता सिमरक्या पुरोहितान तहसील पचपदरा जिला बाडमेर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का नोकर/विकता होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र श्री जब्बर सिंह का होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु गोदाम मे **मावा (Khoya)** लोहे की ट्रे मे मिठाई तैसार करने हेतु रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, नोकर श्री देवीदास को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता देवीदास एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा गोदाम मे लोहे की ट्रे मे लगभग 8–10 किलोग्राम **मावा (Khoya)** मे से 1 किलोग्राम को ज्यो का त्यो लेकर वास्ते आम जनता को विकय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत नोकर, श्री देवी दास को रू0 200/–अक्षरे दो सो रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **मावा (Khoya)** 1 किलोग्राम को बॉट मापक से तुलवाकर 250–250 ग्राम मावा साफ व सुखी चार कांच की शिशियो मे अलग–अलग भरकर प्रत्येक कांच के शिशियो मे 20–20 बूँदे 40 प्रतिशत विलयन वाली फार्मेलीन बतोर परिरक्षक डालकर नियमानुसार एयरटाईट बंद कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

888

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

I–738 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–738 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर नोकर देवी दास के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./14/1729 दिनांक 10.06.2014 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/199/एक्ट/2013/209 दिनांक 04.06.2014 अनुसार देवी दास से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **मावा** (Khoya) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **मावा** (Khoya) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मावा** (Khoya) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मावा** (Khoya) का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 अप्रार्थी श्री जब्बर सिंह पुत्र बेरीसाल सिंह एफ.बी.ओ मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड दूनी जिला टोंक हाल निवासी टेलीफोन एक्सचेंज के पास दूनी जिला टोंक राज0 ग्राम व पोस्ट बावडी कला तहसील फलौदी जिला जोधपुर राज0 पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 08.08.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0

Scanned by CamScanner